



सं./No. 1/12/2011-वीएस (सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi - 110066

ई-मेल/ E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in, rkgautamiss.rgi@nic.in, ajayk.rgi@censusindia.gov.in

दूरभाष/ फ़ैक्स Tel /Fax – 26104012

दिनांक - 27/10/2014

सेवा में,

समस्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)

विषय :- जन्म और मृत्यु रिपोर्टिंग प्रपत्रों में प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन।

महोदय,

आप जानते हैं कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जाते हैं जन्म या मृत्यु रिपोर्टिंग प्रपत्रों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी। यह देखा गया है कि संस्थागत घटनाओं के मामले में संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में विभिन्न गलतियाँ/त्रुटियाँ जैसे बच्चे या मृतक या माता-पिता का गलत नाम और उपनाम, गलत पता आदि होते हैं और बाद में इन त्रुटियों पर इस दलील पर सुधार के लिए आया कि अस्पताल द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

2. इसके अलावा, जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के लिए एक समान सीआरएस सॉफ्टवेयर को लागू करने और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से जोड़ने के लिए, यह वांछनीय है कि रिपोर्टिंग प्रपत्रों के माध्यम से एकत्र किए गए विवरण सटीक और सही होने चाहिए ताकि सुधार/त्रुटियों की संभावना को कम किया जा सके। इन त्रुटियों से बचने के लिए जन्म के मामले में मां के निकटतम रिश्तेदार (जो बच्चे को पहुंचाने वाले) के प्रथमाक्षर/काउंटर हस्ताक्षर एकत्र करने और मृत्यु के मामले में मृतक के निकटतम रिश्तेदार के काउंटर हस्ताक्षर प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उनसे काउंटर सिग्नेचर डालने से पहले जन्म और मृत्यु

रिपोर्टिंग फॉर्म में दिए गए ब्योरे की जांच करने को कहा जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्थागत आयोजनों के मामले में मुखबिर संस्था बनी रहेगी ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप सभी संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों को उपरोक्त निर्देश जारी करें ताकि सुधार/त्रुटियों की संभावना को कम किया जा सके । इस कार्यालय में इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है.

भवदीय,

एस/ डी

(पी.ए. मिनी)

उप महारजिस्ट्रार, सीआरएस

संख्या 1/12/2014-वीएस (सीआरएस) नई दिल्ली दिनांक 27.10.2014

इस मामले को मुख्य पंजीयक के सकने के अनुरोध के साथ जनगणना संचालन निदेशालय के निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक को भेजी गई प्रतिलिपि.

एस/ डी

(अजय खन्ना)

उप निदेशक (सीआरएस)



प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
“Ensure Registration of Every Birth and Death”